रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-21052025-263255 CG-DL-E-21052025-263255

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2183]

No. 2183]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 19, 2025/वैशाख 29, 1947

NEW DELHI, MONDAY, MAY 19, 2025/VAISAKHA 29, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) (विदेश व्यापार महानिदेशालय) अधिसूचना नई दिल्ली, 19 मई, 2025

सं. 08/ 2025-26

विषय:— वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों में संशोधन के संबंध में।

का.आ. 2237 (अ).—समय—समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैरा 1.02 और 2.01 के साथ पिठत विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 की धारा 5 के साथ पिठत धारा 3 द्वारा प्रदत शिक्तयों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्द्वारा वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत विशिष्ट आइटीसी (एचएस) कोडों की आयात नीति और नीतिगत शर्तों को तत्काल प्रभाव से संशोधित करती है।

3286 GI/2025 (1)

2. आइटीसी (एचएस) 2022 की अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 में, निम्नलिखित प्रविष्टियाँ शामिल की जाएगी/प्रतिस्थापित की जाएंगी/हटा दी जाएंगी और नव निर्मित एचएस कोड, उनकी आयात नीति और नीतिगत शर्तें निम्नानुसार अधिसूचित की जाएंगी:

आइटीसी	मद विवरण	आयात नीति	नीतिगत शर्त
(एचएस)	नप् ।पपरण	जापात गात	भावभव शव
कोड			
71069120	वजन के अनुसार	प्रतिबंधित	आयात की अनुमति केवल भारतीय रिजर्व बैंक
7 1009 120	99.9 प्रतिशत या उससे	त्राराषावरा	(बैंकों के मामले में), विदेश व्यापार महानिदेशालय
	अधिक चांदी युक्त		(अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित
	जिल्पि पापा पुरा		नामित एजेंसियों और भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन
			एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से आयात के
			लिए आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित
			अर्हताप्राप्त आभूषणकर्ताओं के माध्यम से ही दी
			जाती है। सिल्वर डोरे को वास्तविक उपयोगकर्ता
			(एयू) शर्त के साथ आयात लाइसेंस के अन्तर्गत
			परिशोधनशाला द्वारा आयात किया जा सकता है।
71069220	—— बार	हटाए गए	
71069221	बार: वजन के	मक्त	आरबीआइ विनियमों के अधीन।
, 1003221	अनुसार 99.9 प्रतिशत या	3	
	उससे अधिक चांदी युक्त		
71069229	बार अन्य	मुक्त	आरबीआइ विनियमों के अधीन।
71081200	– गैर–मौद्रिक : –– अन्य	हटाए गए	
	अनिर्मित रूप		
710812	— अन्य अनिर्मित रूपः		
71081210	वजन के अनुसार	प्रतिबंधित	1. आयात की अनुमति निम्नलिखित माध्यम से हैः
	99.9 प्रतिशत या उससे		(i) आरबीआइ द्वारा यथा अधिसूचित नामित
	अधिक स्वर्ण युक्त		एजेंसियां (बैंकों के मामले में) या डीजीएफटी द्वारा
			अधिसूचित नामित एजेंसियां (अन्य एजेंसियों के
			लिए) ू
			(ii) भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज
			(आइआइबीएक्स) के माध्यम से अर्हताप्राप्त
			आभूषणकर्ता (आइएफएससीए द्वारा यथा
			अधिसूचित);
			2. आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध
			भारत—यूएई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले
			आइआइबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात कर
			सकते हैं और आइएफएससीए द्वारा निर्धारित
			दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित
			आइएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट के माध्यम से
		0 :0	इसकी वास्तविक सूपूर्दगी प्राप्त कर सकते हैं।
71081290	अन्य	प्रतिबंधित	1. आयात की अनुमति निम्नलिखित माध्यम से है:
			(i) आरबीआइ द्वारा यथा अधिसूचित नामित
			एजेंसियां (बैंकों के मामले में) या डीजीएफटी द्वारा
			अधिसूचित नामित एजेंसियां (अन्य एजेंसियों के
			लिए)

			(ii) भारतीय अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज (आइआइबीएक्स) के माध्यम से योग्य ज्वैलर्स (आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित);
			2. आइएफएससीए द्वारा यथा अधिसूचित वैध भारत—यूएई टीआरक्यू धारक टीआरक्यू के बदले आइआइबीएक्स के माध्यम से सोने का आयात कर सकते हैं और आइएफएससीए द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार एसईजेड में स्थित आइएफएससीए पंजीकृत वॉल्ट के माध्यम से इसकी वास्तविक सुपुर्दगी प्राप्त कर सकते हैं।
			3. गोल्ड डोर को वास्तविक उपयोगकर्ता (एयू) शर्त के साथ आयात लाइसेंस के अंतर्गत परिशोधनशाला द्वारा आयात किया जा सकता है।
71081300	गैर-मौद्रिक : — अन्य अर्ध-निर्मित रूप	हटाए गए	
710813	अन्य अर्ध-विनिर्मित रू	<u>प</u> :	
71081310	— वजन के अनुसार 99. 9 प्रतिशत या उससे अधिक स्वर्ण युक्त		आयात की अनुमित केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाती है।
71081390	—— अन्य	प्रतिबंधित	आयात की अनुमित केवल आरबीआइ (बैंकों के मामले में) और डीजीएफटी (अन्य एजेंसियों के लिए) द्वारा यथा अधिसूचित नामित एजेंसियों के माध्यम से ही दी जाती है।
71101110	अनिर्मित रूप	हटाए गए	
71101111	—— अनिर्मित रूप —— वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त	मुक्त	-
71101119	अनिर्मित रूपः अन्य	प्रतिबंधित	-
71101120	पाउडर के रूप में	हटाए गए	
71101121	—— पाउडर के रूप में: —— वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त		-
71101129	पाउडर के रूप में: अन्य	प्रतिबंधित	-
71101900	– प्लैटिनम : –– अन्य	हटाए गए	
711019	——अन्य		
71101910	—— वजन के अनुसार 99.0 प्रतिशत या उससे अधिक प्लैटिनम युक्त		-
71101990	अन्य	प्रतिबंधित	-

अधिसूचना का प्रभावः

वित्त अधिनियम 2025 दिनांक 29.03.2025 के अनुरूप आइटीसी (एचएस) 2022, अनुसूची—I (आयात नीति) के अध्याय 71 के अंतर्गत नव निर्मित एचएस कोड़ को तत्काल प्रभाव से अधिसूचित किया गया है। इसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

> [फा.सं.1/89/180/36/एएम-11/पीसी-2(ए)/पार्ट-VII/ई-34827] अजय भादू,महानिदेशक विदेश व्यापार एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(Directorate General of Foreign Trade)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th May, 2025

No. 08 /2025-26

Subject: Amendment in Import Policy and Policy Conditions of specific ITC (HS) codes under Chapter 71 of Schedule –I(Import Policy) of ITC (HS) 2022 in sync with the Finance Act 2025 -reg.

- **S.O. 2237 (E).** In exercise of powers conferred by Section 3 read with Section 5 of Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992, read with paragraph 1.02 and 2.01 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, the Central Government hereby amends the Import Policy and Policy Condition of specific ITC (HS) codes under Chapter 71 of Schedule –I (Import Policy) of ITC (HS) 2022 in sync with the Finance Act 2025 dated 29.03.2025, with immediate effect.
- 2. In Chapter 71, ITC (HS) 2022, Schedule–I (Import Policy), the details of the ITC(HS) codes that have been deleted and the Import Policy and Policy Conditions against the newly created ITC(HS) codes is notified as under:

ITC(HS) Code	Item Description	Import Policy	Policy Condition
7106	Silver (including smanufactured forms	-	ed with gold or platinum), unwrought or in semi der form.
710691	Other : Unwrought	:	
71069120	Containing 99.9 per cent. or more by weight of silver		Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks), DGFT (for other agencies) and by qualified jewellers as notified by the IFSCA for import through India International Bullion Exchange (IIBX).
710692	Other : Semi-man	ufactured	
71069220	Bar	Deleted	

	Bar: Containing 99.9 percent or more by weight of silver		Subject to RBI Regulations.
71069229	Bar Other	Free	Subject to RBI Regulations.

7108	Gold (including gold plated with platinum) unwrought or in semi manufactured forms, or				
	in powder form.				
710812	Other unwrought fo	orms:			
71081200	- Non-monetary:	Deleted			
	Other unwrought forms				
71081210	Containing 99.5 per cent. or more by weight of gold	Restricted	 Import is allowed through: (i) Nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or nominated agencies notified DGFT (for other case) 		
			India Intern	ed Jewellers (as notified by IFSCA) through ational Bullion Exchange (IIBX);	
			2. Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA.		
71081290	Other	Restricted	1. Import is allowed through: (i) Nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) or nominated agencies notified DGFT (for other agencies) (ii) Qualified Jewellers (as notified by IFSCA) through India International Bullion Exchange (IIBX); 2. Valid India-UAE TRQ holders as notified by IFSCA can		
			import gold through IIBX against the TRQ and can obtain physical delivery of the same through IFSCA registered vaults located in SEZs as per the guidelines prescribed by the IFSCA.		
			3. Gold Dor	e can be imported by refineries against an import Actual User (AU) condition.	
710813	Other semi-manufactured forms:				
71081300	- Non-monetary: Other semi- manufactured forms	Deleted			
71081310		Restricted		allowed only through nominated agencies as RBI (in case of banks) and DGFT (for other	
	weight of gold		agencies)	(- 1332	
71081390	Other		Restricted	Import is allowed only through nominated agencies as notified by RBI (in case of banks) and DGFT (for other agencies)	
7110	Platinum, unwrought or in semi manufactured forms, or in powder form.				
711011	Platinum: Unwrought or in powder form				
71101110	Unwrought form		Deleted		

71101111 --- Unwrought form --- Containing | Free | 99.0 per cent or more by weight of

	platinum		
71101119	Unwrought form: Other	Restricted	-
71101120	In powder form	Deleted	
71101121	In powder form: Containing 99.0 per cent. or more by weight of platinum		-
71101129	In powder form: other	Restricted	-
711019	Other		
71101900	- Platinum : Other	Deleted	
71101910	Containing 99.0 per cent. or more by weight of platinum	Free	-
71101990		Restricted	-

Effect of the Notification:

The Import Policy of the ITC(HS) codes under Chapter 71 of ITC (HS) 2022, Schedule-I (Import Policy), newly created under the Finance Act, 2025 dated 29.03.2025, is notified with immediate effect.

This is issued with the approval of Minister of Commerce & Industry.

[F. No. 01/89/180/36/AM-11/PC-2[A]/Part-VII / E-34827] AJAY BHADOO, Director General of Foreign Trade & Addl. Secy.